विधानसभा का बजट सत्र 16 से

12 बैठकें होंगी

6 मार्च तक चलेगी

19 फरवरी को पेश हो सकता है वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट

प्रशासनिक संवाददाता
भोपाल, 15 जनवरी. मप्र विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से आहूत किया गया है. 6 मार्च तक चलने वाले 19 दिवसीय सत्र में कुल 12 बैठकें होंगी. इस अवधि में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश होगा. मिले संकेतों के मुताबिक बजट 19 या 20 फरवरी को पेश हो सकता है.

इसमें प्रदेश की आर्थिक सेहत की नई तस्वीर पेश होगी. सत्र के पहले सप्ताह में पांच दिन तक लगातार बैठकें होंगी, फिर दो दिन अवकाश के बाद 23 से 27 तक भी लगातार बैठकें होंगी. इस दौरान विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी. 28 फरवरी से 4 मार्च तक होली अवकाश रहेगा. मार्च में सदन की महज दो बैठकें ही होंगी. यह तब होगा, जब सदन सामान्य रूप से संचालित हो. लेकिन इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से सेवन से 23 लोगों की मौत के बाद प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है. ऐसे में विपक्ष इस मामले को सदन में प्रमुखता से उठा सकता है. यदि इस मामले में सदन की कार्यवाही बाधित हुई तो फिर कार्यवाही होली अवकाश से पहले भी अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जा सकती है. वहीं बजट को पारित कराने के लिये गिलोटिन का सहारा लिया जा सकता है. पिछले बजट सत्र में भी सभी विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा नहीं हो सकी थी.

> बजट सत्र के लिये गुरुवार को विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी कर दी है. सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगुभाई पटेल का अभिभाषण होगा. राज्यपाल के अभिभाषण पर पेश कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर दो दिन की चर्चा हो सकती है, जिसका जवाब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव देंगे. वहीं बजट पर भी दो दिन की सामान्य चर्चा हो सकती है. बजट पेश करने से एक दिन पहले प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा.

श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में प्रवेश परीक्षा की अंतिम तारीख बढ़कर हुई

भोपाल, 15 जनवरी. मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एवं स्कूल शिक्षा विभाग के मध्य रूह. के माध्यम से संचालित पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए पूर्णतया नि:शुल्क श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या को प्रोत्साहित करने प्रवेश परीक्षा की अंतिम तारीख 20 जनवरी से बढ़ाकर 28 जनवरी कर दी गई है। श्रमोदय आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 वीं से 9 वीं तक सत्र 2026-27 हेतु प्रवेश परीक्षा का आयोजन 08 फरवरी 2026 को है। शासकीय श्रमोदय आवासीय वि?द्यालय जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल एवं इंदौर में अधिक से अधिक विद्यार्थियों के आवेदन प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 28 जनवरी तक कर दी गई है।

सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने रचा इतिहास

गर्भवती और दिव्यांग महिलाओं की जान बचाकर नए कीर्तिमान स्थापित किए

नवभारत न्यूज
रीवा, 15 जनवरी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, लगातार ह्रदय रोगों के जटिलतम प्रोसीजर में नए-नए कीर्तिमान रच रहा है. कार्डियोलॉजी विभाग की टीम ने दो अत्यंत चुनौतीपूर्ण प्रकरणों में सफल बैलून मिट्रल वाल्युलोप्लास्टी प्रक्रिया करके मरीजों की जीवन रक्षा की, जो विंध्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है.

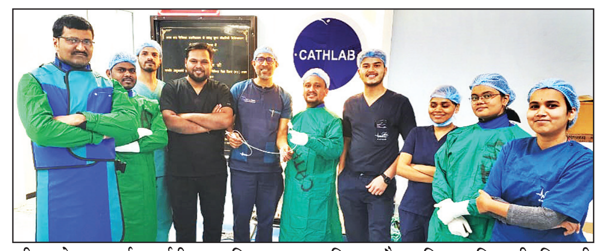

32 वर्षीय एक गर्भवती महिला कार्डियालाजी विभाग के डॉ. एस.के. त्रिपाठी के पास आई, जिन्हें न्यूनतम शारीरिक गतिविधि में भी सांस फूल रही थी और लेटने पर भी सोना मुश्किल हो रहा था. इकोकार्डियोग्राफी से पता चला कि मरीज का मिट्रल वाल्व पूरी तरह सिकुड़ चुका था. गर्भावस्था जारी रखने में मरीज के जीवन को गंभीर खतरा था. महिला की पिछली दो प्रेग्नेंसी पहले ही असफल हो चुकी थी, इसलिए यह गर्भावस्था उनके लिए अत्यंत बहुमूल्य थी. ओपन हार्ट सर्जरी का विकल्प जोखिमपूर्ण होने के कारण टीम ने बेलून मिट्रल बाल्युलोप्लास्टी का निर्णय लिया. हाई रिस्क लेकर डॉ. एस.के. त्रिपाठी और डॉ. सुरेंद्र तिवारी ने यह प्रक्रिया अत्यंत सफलतापूर्वक संपन्न की. अब महिला पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और अपनी गर्भावस्था सुरक्षित रूप से जारी रख पाएंगी. यह रीवा में इस प्रकार का पहला प्रकरण है. जिसे सफलतापूर्वक इलाज दिया गया. इसी प्रकार एक अन्य महिला, जिन्हें बचपन में पोलियोमाइलाइटिस की बीमारी के कारण एक पैर पतला और कमजोर हो गया था. इस शारीरिक चुनौती के कारण प्रक्रिया और अधिक जटिल थी. फिर भी डॉ. सुरेंद्र तिवारी, डॉ. पी.डी. त्रिपाठी और डॉ. एस.के. त्रिपाठी की टीम ने चुनौती स्वीकार की और सफलतापूर्वक पूरी की. मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ हैं. टीम में कैथ लैब तकनीशियन जय नारायण मिश्रा, सत्यम शर्मा, मनीष तिवारी, सुमन साहू सुधांशु तिवारी, विजय, सोनाली, निकित तथा नर्सिंग स्टाफ मनीषा, शांति, सतेंद्र, किशोर, निधी, प्रीती, ललिता ने महत्वपूर्ण योगदान दिया. इन सफलताओ के लिये डीन डॉ. सुनील अग्रवाल और अधीक्षक डॉ अक्षय श्रीवास्तव ने पूरी कार्डियोलॉजी टीम को बधाई दी है.

खेत से घर लौट रहे बुजुर्ग को बाइक ने मारी ठोकर, उपचार के दौरान मौत

नवभारत न्यूज
रीवा, 15 जनवरी, रीवा के बैकुंठपुर में खेत से घर लौट रहे बुजुर्ग को तेज रफ्तार बाइक की टक्कर मार दी. अचानक हुए हादसे में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की उपचार के दौरान मौत हो गई है. घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सौर गांव स्थित मृतक बुजुर्ग के घर के ठीक सामने हुई है.

घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम सौर निवासी इंद्रजीत विश्वकर्मा रोजाना की तरह बुधवार को खेत गए हुए थे, जहां से शाम करीब 4:00 बजे वह वापस घर लौट रहे थे तभी घर के सामने ही सड़क पार करते समय एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी. बाइक की टक्कर लगते ही बुजुर्ग सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अनान फानन में उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां देर रात उनकी उपचार के दौरान मौत हो गई. बताया गया की दुर्घटना कारीत करने वाली बाइक में तीन युवक सवार थे, जो बुजुर्ग को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गए. फिलहाल पुलिस द्वारा पंचनामा करवाई कर शव का पीएम कराया जा रहा है, तो वहीं दुर्घटना कारित करने वाली बाइक सहित बाइक सवारों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.

एनटीपीसी रिहंद नगर रेल लाइन से कटी 19 नग लोहे की पटरी जप्त

चोरी गई रेल लाइन पटरी 24 घंटे के भीतर बरामद, सासन चौकी पुलिस को बड़ी सफलता

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 15 जनवरी । जिले में सासन चौकी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेल लाइन से चोरी की गई लोहे की पटरी को 24 घंटे के भीतर बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है। एनटीपीसी रिहंद नगर क्षेत्र अंतर्गत रेल लाइन से कटी गई 19 नग लोहे की पटरी करीब 150 फीट एवं घटना में प्रयुक्त एक गैस सिलेंडर जप्त किया गया है, जिसकी कुल कीमत लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये आंकी गई है।

थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक अशोक सिंह परिहार तथा चौकी प्रभारी सासन उप निरीक्षक संदीप यादव के नेतृत्व में गठित टीम ने इस चोरी का सफल खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि आज दिन गुरूवार को फरियादी अशोक कुमार शर्मा निवासी ग्राम नौन, हाल सिक्योरिटी एजेंसी एनटीपीसी रिहंद नगर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अज्ञात आरोपियों द्वारा रेल लाइन की लोहे की पटरी काटकर चोरी कर ली गई है। रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 07/26, धारा 305(5) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर तत्काल टीम गठित की गई ।पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य एवं मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी हनीफ खान पिता नसीर अली उम्र 21 वर्ष निवासी मेढ़ौली को गिरफ्तार किया है। आरोपी की निशानदेही पर चोरी गई रेल पटरी एवं गैस सिलेंडर बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार इस चोरी में अन्य आरोपियों की भी संलिप्तता है, जिनकी तलाश जारी है। वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि रेल संपत्ति से जुड़ी किसी भी प्रकार की चोरी या तोड़फोड़ पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उक्त कार्रवाई में चौकी प्रभारी सासन उनि संदीप यादव, सउनि विजय अग्निहोत्री, लेखचंद डहर, प्रआर हेमराज पटेल, आर. मो. कांस्टेबल, प्रआर संतोष साकेत, आर मुकेश पटेल एवं सहजानंद की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

किशोरी के साथ गैंग रेप आरोपी हिरासत में

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 15 जनवरी । चितरंगी थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 15 साल किशोरी के साथ दो दरिंदो ने गैंग रेप किया है। पीड़िता एवं उनके परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तार कर ली है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक 15 साल की किशोरी को 14 जनवरी की शााम करीब 6 बजे सूनसान खेत में ले जाकर आरोपी समन सिंह गोड़ एवं श्रीराम सिंह गोड़ दोनों निवासी कुड़ैनिया प्रथम ने सामूहिक दुराचार किया है। पीड़िता के द्वारा शोर-शराबा किये जाने पर आरोपी भाग खड़े हुये। पीड़िता अपने घर पहुंच आपबीती घटना अपने परिजनों को सुनाई। परिजन आज किशोरी के साथ चितरंगी थाना पहुंच एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने उक्त आरोपियों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 137(2), 87, 70(2), 64(1) एवं पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध करते हुये आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछतांछ कर रही है।

एनटीपीसी से लोहे की पाइप चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार

पिकअप वाहन सहित 5 .50 लाख का मशरूका जप्त, 15 जनवरी की चोरी का खुलासा

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 15 जनवरी ।जिले में कोतवाली पुलिस ने एनटीपीसी से लोहा चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया लोहा एवं वारदात में प्रयुक्त पिकअप वाहन जप्त किया है, जिसकी कुल कीमत करीब 5 लाख 50 हजार रुपये बताई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार धारा 303(2)बीएनएस के तहत यह कार्रवाई की गई है। घटना आज दिन गुरूवार की है, जहां थाना विंध्यनगर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बीड़सरिया में घटित हुई। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति एनटीपीसी से लोहा चोरी कर उसे पिकअप वाहन में भरकर ले जा रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर संदिग्ध पिकअप वाहन को रोका और तलाशी के दौरान उसमें चोरी किया गया लोहा वजन करीब 9 टन, अनुमानित कीमत 1 लाख 50 हजार रुपये एवं पिकअप वाहन कीमत लगभग 4 लाख रुपये, कुल जप्ती कीमत 5 लाख 50 हजार रुपये बरामद किया। पूछतांछ में आरोपी संतोष कुमार शाह पिता रामप्रवेश शाह, रिंकू कुमार शाह पिता रामप्रवेश शाह दोनों निवासी नवीनगर बिहार थाना विंध्यनगर ने चोरी की घटना स्वीकार की। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक अजीत सिंह परिहार, उनि राकेश करिहार, विपिन सिंह, आरडी झा, संजय श्रीवास्तव, गोविंद कुमार सहित पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

झूला संचालक की बेदम पिटाई कर किया लहुलुहान

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 15 जनवरी । सरई थाना क्षेत्र के सुरसुराई घाट में मकर संक्रांति पर्व पर चल रहे 15 दिवसीय मेले के दूसरे दिन आज गुरूवार को झूला संचालक के साथ एक व्यक्ति ने बेरहमी से पिटाई कर लहुलुहान कर दिया।

पुलिस की मदद से युवक को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सरई में भर्ती करा दिया गया है। यह शाम करीब 4 बजे की है।जानकारी के अनुसार सुरसुराई घाट झारा में मेला लगा है। जहां झूला संचालक प्राण जायसवाल पिता कन्हैयालाल जायसवाल उम्र 30 वर्ष निवासी ककरसिहा के साथ झूला में टिकट को लेकर एक युवक भीड़ गया और झूला संचालक की भीड़ में ही जमकर धुलाई करते हुये लहुलुहान कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दिया और पुलिस तत्काल घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले गई। इधर आरोपी घटना के बाद भाग खड़ा हुआ। हालांकि फरियादी द्वारा अभी थाने में रिपार्ट दर्ज नही कराई गई है।

चौथी के छात्र को ट्रक ने कुचला, भाई बहन साथ जा रहे थे स्कूल

बच्चे को कुचल डिवाइडर से टकराया ट्रक, शहर के समान थाना क्षेत्र रतहरा की घटना

नवभारत न्यूज
रीवा, 15 जनवरी, घर से पैदल स्कूल जा रहे कक्षा चौथी के छात्र को एक तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया है. अचानक हुए इस हादसे के दौरान ट्रक की चपेट में आए बच्चे की जहां मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, तो वहीं ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क के बीच बने डिवाइडर से जा टकराया. जिस वक्त यह हादसा हुआ उसे वक्त बच्चे के साथ उसकी बड़ी बहन भी स्कूल जा रही थी लेकिन वह ट्रक की चपेट में आने से बाल बाल बच गई है.

हादसा सुबह करीब 9:30 बजे शहर के समान थाना क्षेत्र स्थित रतहरा के समीप होना बताया जा रहा है. फिलहाल शव को संजय गांधी अस्पताल लाया गया है और पंचनामा कार्रवाई कर पीएम की कार्रवाई की जा रही है.

घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक शहर के रतहरा में ही रहने वाले त्रिपाठी परिवार का 10 वर्षीय पुत्र रूद्र त्रिपाठी जो कक्षा चौथी का छात्र था वह रोजाना की तरह अपनी बड़ी बहन के साथ घर से स्कूल जाने के लिए निकला था. बताया गया की घर से स्कूल पैदल जाते वक्त जब भाई और बहन सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक बच्चों को कुचलते हुए डिवाइडर से जा टकराया. हादसे के वक्त भाई की जहां दर्दनाक मौत हो गई तो वहीं साथ जा रही बहन बाल बाल बच गई है. इस घटना के बाद मौके पर जहां हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई तो वहीं डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुए ट्रक को छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों द्वारा दी गई सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मृत बच्चे के शव को पीएम के लिए अस्पताल लाया गया है. वही ट्रक को अपने कब्जे में लेकर पुलिस ने चालक की तलाश शुरू कर दी है. इधर मासूम बच्चे की हुई मौत के बाद पीड़ित परिवार में ना सिर्फ मातम का माहौल है बल्कि परिवार जनों का रो-रो कर बुरा हाल है.

बत्तीस एकड़ शासकीय भूमि खनिज माफिया के चंगुल में

मामला बैजनाथ ग्राम पंचायत के हिनौती गांव का

अगड़ाल 15 जनवरी, रीवा जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत बैजनाथ के अधीनस्थ ग्राम हिनौती की शासकीय भूमि खसरा क्रमांक 44 रकबा 15 एकड़ 80 डिसमिल एवं भूमि खसरा नंबर 46 रकवा 16 एकड़ शासकीय भूमि है जिसमें जेपी सीमेंट कंपनी की लीज दर्ज है.

उक्त शासकीय भूमि से स्थानीय खनिज माफिया अवैध रूप से खनिज पत्थर निकासी करते हैं प्रशासनिक अमला सब कुछ देखते जानते हुए मौन साधे है। अवैध खनिज पत्थर निकासी से ग्राम पंचायत के राजस्व के साथ ही शासकीय रॉयल्टी की खुलेआम चोरी कर लाखों की चपत लगा रहे हैं। ग्राम पंचायत बैजनाथ के सरपंच संतोष मिश्रा, सहायक सचिव दिलीप मिश्रा, ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य राघवेन्द्र त्रिपाठी ,अनिरुद्ध शुक्ला आदि लोगों ने हिनौती की बत्तीस एकड़ शासकीय भूमि से हो रहे अवैध खनिज निकासी एवं परिवहन पर रोक लगाये जाने हेतु रीवा कलेक्टर से कार्यवाही कराने की मांग की है।

अकार्यशील 95 सहकारी समितियों को परिसमापन का नोटिस

रीवा, 15 जनवरी, रीवा एवं मऊगंज जिले में अकार्यशील 95 सहकारी समितियों को परिसमापन का नोटिस जारी किया गया है. समितियों के वित्तीय पत्रक का अवलोकन किया गया जिसमें पाया गया कि समितियों द्वारा तीन वर्ष से अधिक समय से कोई कार्य नहीं किया गया है. जिस पर उपायुक्त सहकारिता ने समितियों को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के तहत परिसमापन का नोटिस जारी किया है. समितियों को परिसमापन में लाने के पूर्व समिति के पदाधिकारी को समिति के संचालन के लिए 26 जनवरी तक कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है. अन्यथा की स्थिति में समितियों के परिसमापन की कार्यवाही की जाएगी. उपायुक्त सहकारिता ने 43 दुग्ध सहकारी समितियों, 5 बीज उत्पादक वर्ग की सहकारी समितियों, 13 मत्स्य सहकारी समितियों, 12 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों, 8 उपभोकत भंडार सहकारी समितियों और 14 अन्य वर्ग की सहकारी समितियों को अकार्यशील रहने पर परिसमापन का नोटिस जारी किया है.

ग्राम पंचायत मऊ के सरपंच एवं सचिव पर ग्रामकी जनता ने लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

सिरमौर 15 जनवरी, जनपद पंचयात सिरमौर अंतर्गत ग्राम पंचायत मऊ के सरपंच राजेश साकेत एवं सचिव ममता. सिंह पर ग्राम की. जनता दीपक अग्निहोत्री एडवोकेट विनायक अग्निहोत्री नीलू अग्निहोत्री अंकित अग्निहोत्री आजाद बंसल बाबूलाल बंसल दयानंद साकेत हीरालाल साकेत महेश अग्निहोत्री पीयूष अग्निहोत्री सत्यम त्रिपाठी श्यामलाल साकेत रामायण प्रसाद पांडे सैकड़ो की तादाद में ग्राम की आम जनमानस काफी आक्रोश देखा गया साथ ही ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहें कि सरकारी तालाब गहरीकरण के नाम से मिट्टी को बीच ली गई है ग्लें बल रोड गुणवत्ता विहीन तरीके से बनाई जा रही हैं मुक्तिधाम गुणवत्ता विहीन तरीके से बनाया गया एडवोकेट विनय अग्निहोत्री ने मीडिया से बताया कि मैं वार्ड 12 का पंच भी हूं ग्राम पंचायत में कभी ग्राम पंचायत सभा नहीं की जाती ग्राम पंचायत सामुदायिक भवन जो बना है उसका ताला आज तक नहीं खोला गया ग्राम पंचायत के सरपंच को तीसरा वर्ष पूर्ण होने जा रहा है

सामुदायिक भवन के मरम्मत के नाम से शायद पैसे निकाले गए हैं इतना ही नहीं दीपक पांडे आदि लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए बताया कि कूड़ा दान गुणवत्ता विहीन तरीके से बनाया गया मनरेगा का पैसा गलत तरीके से अपने सगे संबंधियों के खाते में निकाल कर भेजा गया इतना ही नहीं दीपक अग्निहोत्री का तो कहना है कि सरकारी तालाब के मेड बधाई का जो होता था मेड नहीं बढ़ाई गई .

1000 रूपये ट्रैक्टर के हिसाब से मिट्टी को बेची गई इस समस्त कार्यों की जानकारी के लिए जनपद पंचायत सिरमौर कार्यालय के चौखट में आवाज लग रहा हूं लेकिन उसे वहां के कोई भी संबंधित अधिकारी सुनने को तैयार नहीं हुए इन लोगों ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि मेरी गुहार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री तक हम लोगों की आवाज पहुंचाई जाए और सभी कार्यों की जांच करा कर गलत पाए जाने पर संबंधित सरपंच एवं सचिव पर कार्यवाही की जाए यदि कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग मजबूर होकर जनपद पंचायत के प्रांगण में धरना प्रदर्शन करने के लिए वाध्य होंगे

सचिव ममता सिंह का कथन - अभी तक सरपंच राजेश साकेत का ताल मेल सही न होने के कारण ग्राम पंचयात मे कोई भी कार्य नहीं कराये गए हैं जो कार्य हुआ हैं पुराना हैं रोड मे शोल्डर गिरवा दिया गया था क्योंकि वहां काफी गड्ढे थे बाद में उसमें बजरी वगैरा डलवा दी जाएगी.

आर टी आई की जानकारी मेरी तबियत राब होने के कारण नहीं दी हूँ , सरपंच राजेश साकेत कथन- मेरा ताल मेल सचिव से न बनने के कारण अभी तक कोई कार्य नहीं कराये गए. लेकिन सवाल ये उठता हैं की ग्राम मे कार्य के नाम से राशि फिर कैसे आहरित की गई जो की जाँच का विषय हैं जिससे स्पष्ट हो रहा हैं की कंही न कंही जनता के द्वारा की गई मांग सही हो सकती हैं.

Presiding Officer : श्री दीनानाथ वाडिवा
(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)
(UNCIV/000001/2026)
संदीप सिंह ....वादी
Vs
स्व.साधू सिंह ..... .प्रतिवादी
Process Id-/2026 पेशी दिनांक:-18.02.2026
प्रेषिती-
(1) अन्य खास व आम जिस किसी का हित हो पिता अन्य खास व आम जिस किसी का हित हो पता- हर आम एवं खास जिसका भी मृतक से संबंध हो.
यह कि प्रार्थी संदीप सिंह ने आपके विरूद्ध अनरजिस्टर्ड सिविल केस के लिये वाद संस्थित किया है .आपको इस न्यायालय में सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिय गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सकें . आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें . आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा . साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावों यह आज तारीख 25 अक्टूबर 2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है .
(दीनानाथ वाडिवा)
बारहवे जिला न्यायाधीश
सतना, जिला सतना (म.प्र.)
कृपया ध्यान दें:- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा

न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त जसो तहसील नागौद जिला सतना (मध्यप्रदेश)
दिनांक 05/01/26
उद्घोषणा (विज्ञप्ति)
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम दुबहिया पटवारी हल्का माडाटोला (88) तहसील नागौद स्थित भूमि खसरा क्रमांक- 74/1/1 रकवा 0.014हे., 75/1/1 रकवा 0.341 हे., 189/1/1 रकवा 0.679हे., 192/1/1 रकवा 0.251हे., 336/1/1 रकवा 0.021 हे., 337/1/1 रकवा 0.161हे., 375/1/1 रकवा 0.021हे., 424/1/1 रकवा 0.007हे., 543/1/1 रकवा 0.090हे., 573/1 रकवा 0.025हे., 577/1 रकवा 0.024हे., 578/1 रकवा 0.024हे., किता 12 कुल रकवा 1.658हे. भू-राजस्व-24.70/- पर दर्ज भूमिस्वामी बट्टूलाल तनय जुगुलकिशोर पाठक निवासी ग्राम दुबहिया के द्वारा ई-पंजीयन संख्या MP3486620017A3308170 दिनांक 08/06/2017 के द्वारा आवेदक/बसीयतगृहीता अन्तिम कुमार पाठक तनय विष्णू प्रसाद पाठक निवासी ग्राम दुबहिया के नाम निष्पादित बसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण का प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन है।
इस सम्बन्ध में यदि किसी आम या खास को कोई आपत्ति हो तो कारण उल्लेख करते हुए अपनी आपत्ति आप स्वयं या विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से दिनांक 21.01.2026 तक कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समयावधि पश्चात प्राप्त किसी आपत्ति पर विचार नही किया जायेगा।
आज दिनांक 05.01.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के अधीन जारी किया गया।
नायब तहसीलदार
वृत्त जसो तहसील नागौद ,जिला सतना (म.प्र.)

24 घंटे के भीतर गुमशुदा बालक सुरक्षित दस्तयाब

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 15 जनवरी । जिले के विंध्यनगर थाना क्षेत्र में पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से एक गुमशुदा बालक को 24 घंटे के भीतर सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया। यह सफलता एसपी मनीष खत्री,एएसपी सर्वप्रिय सिन्हा के निर्देशन तथा सीएसपी पीएस परस्ते के मार्गदर्शन में हासिल हुई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी मनोज कुमार साहू पिता स्व. श्यामलाल साहू उम्र 33 वर्ष निवासी नवजीवन बिहार सेक्टर-3 ने थाने में सूचना दी कि उनका 12 वर्षीय पुत्र, जो कक्षा तीसरी तक पढ़ा है और पिछले दो वर्षों से मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण स्कूल नहीं जा रहा था, जहां 13 जनवरी की शाम करीब 6:30 बजे अपनी मां के साथ नानी के घर ग्राम ढोटी गया था। 14 जनवरी की सुबह करीब 5:40 बजे सूचना मिली कि बालक रात में नानी के घर से कहीं चला गया है। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी विंध्यनगर निरीक्षक अर्चना द्विवेदी के नेतृत्व में तीन अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गईं। बालक की तलाश शीतलनगर, जयंत, मोरवा, बरगवां बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में की गई। वहीं सीसीटीव्ही फुटेज खंगालने पर पता चला कि बालक रात करीब 12:56 बजे घर से बाहर निकला था और विभिन्न मार्गों से पैदल चलता हुआ ग्राम ढोटी से परसौना होते हुए बुढ़ार की ओर गया। सूचना के आधार पर एक टीम को बुढ़ार, रजमिलान और अमिलिया की ओर रवाना किया गया। लगातार प्रयासों के बाद जानकारी मिली कि बालक शाम करीब 7 बजे ग्राम भाटनिया नवटोला अपने बुआ के घर पहुंच गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बालक को सुरक्षित दस्तयाब किया और उसे सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

कार्यालय तहसीलदार तहसील कुसमी जिला सीधी (म.प्र.)
//इश्तहार//
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम कोड़ार तहसील कुसमी जिला सीधी की शासकीय आराजी खसरा क्रमांक 1381 रकवा 1.3600 हे. भूमि है। आवेदित भूमि कार्यालय जनपद पंचायत कुसमी को आवंटित किये जाने का आवेदन विचारार्थ लिया गया है।उक्त आवंटन में जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वह इस इश्तहार जारी होने के दिनांक से प्रकरण में नियत आगामी (कम से कम 15 दिवस उपरांत) दिनांक 28/1/026 के पूर्व अथवा उक्त दिनांक को अपनी आपत्ति ऑनलाइन अथवा लिखित रूप से न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता हैं।निर्धारित अवधि पश्चात् प्रस्तुत आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा।
आज दिनांक 13.01.2026 को मेरे हस्ताक्षर व पद मुद्रा से जारी किया गया हैं।
(नारायण सिंह)
तहसीलदार
तहसील-कुसमी
जिला-सीधी(म.प्र.)

कार्यालय नगर परिषद् मऊगंज जिला मऊगंज (म.प्र.)
cmomahuganj@mpurban.gov.in
क्रमांक/3128/e-tendering/NP/2025 मऊगंज दिनांक 13.01.2026
ई-निविदा सूचना - प्रथम आमंत्रण
निम्नलिखित कार्य हेतु केंद्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाइन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेवसाइट https://mptenders.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्र. जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं श्वस्ह	निविदा की अंतिम तिथि
1	2026_UAD_475663_1 दिनांक 14.01.2026	नगर परिषद मऊगंज अंतर्गत बिरसा मुंडा सामुदायिक भवन निर्माण कार्य.	1. 45 दिवस 2. 1999517/-	1. 2000/- 2. 15000/-	14.02.2026
2	2026_UAD_475664_1 दिनांक 14.01.2026	नगर परिषद मऊगंज अंतर्गत स्मार्ट फिश पार्लर निर्माण कार्य	1. 30 दिवस 2. 368097/-	1. 2000/- 2. 3680/-	01.02.2026

नोट:- निविदा से सम्बंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन https://mptenders.gov.in/ की वेबसाइट पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद मऊगंज, जिला-मऊगंज (म0प्र0)